

चेक बाउंस मामलों में त्वरति अभियोजन संबंधी वधियक लोकसभा से पारति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चेक बाउंस के मामलों में शकियतकर्त्ता को मुआवज़ा मुहैया कराने हेतु त्वरति अभियोजन से संबंधति वधियक को लोकसभा ने पारति कर दिया।

परमुख संशोधन

- परक्राम्य लिखित (संशोधन) वधियक (Negotiable Instruments (Amendment) Bill) को लोकसभा में ध्वनमित से पारति कर दिया गया। यह वधियक शकियतकर्त्ता को अंतरमि मुआवज़े के भुगतान हेतु ड्रावर (व्यक्तजो चेक लिखता है) को नरिदेशति करने के लयि अदालत को चेक बाउंस अपराध के वचिरण की अनुमति देता है।
- नए प्रावधानों के तहत शकियत करने वाले को त्वरति न्याय मलैगा। मामले की शकियत करने वाले को 20 प्रतशित अंतरमि राशामुआवज़े के रूप में देने का प्रावधान कयिा गया है।
- यदाभामला अपीलीय अदालत में जाता है तो 20 प्रतशित और राशान्यायालय में जमा करनी होगी। चेक जारी करने वाले को आर्थकि दंड पर 20 प्रतशित ब्याज भी देना होगा। मामले में न्यायालय चाहे तो दंड की राशान्यायालय में जमा करनी होगी।
- इस संशोधन से मुकदमेबाज़ी के मामलों में कमी आएगी तथा चेक और बैंकगि प्रणाली पर विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- वधियक के ज़रयि अधनियिम में धारा 143 (a) का समावेशन कयिा गया है जसिमें अपील करने वाले पक्ष को ब्याज देने का प्रावधान है। धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा चलने पर पीड़ति पक्ष को 60 दिन के भीतर 20 प्रतशित अंतरमि राहत राशान्यायालय में जमा करनी होगी। बड़ी राशान्यायालय में भुगतान करने की दशा में यह अवधति 30 दिन बढ़ाई जा सकती है।